न्यायालयः– सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या –87/2012

श्रीमती पतिराजा बनाम श्रीमती अनीता

11.04.2019

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थना पत्र ग–58 प्रार्थिनी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी ही वह तारावती है जो पतिराजा व अवधराम की सगी पुत्रियों तारावती एवं कृष्णावती में से एक है, जिसके द्वारा कायम मुकामी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करके असत्य तथ्य प्रस्तुत कर यह भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की है कि तारावती वह महिला ही नहीं है जो पतिराजा की उसके पति अवधराम से पैदा हुई पुत्री तारावती थी, क्योंकि तारावती की शादी तो राजेन्द्र प्रसाद के संग हुई थी और उनकी भूमि विरासतन तारावती के नाम आ गयी तथा वर्तमान तारावती एक ऐसी आवेदिका है जो नाम होने के कारण अनैतिक लाभ लेने के वास्ते प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिनी के द्वारा बैनामा दिनांकित 24.05.83 पर अपने अलायत (अंगूठा निशानी व दस्तखत) बनाये गये थे। वही दस्तखत व अंगूठा कायम मुकामी प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी द्वारा बनाया गया है, जिससे मिलान करके प्रतिवादिनी के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे भ्रम का पर्दाफाश होने पर कायम मुकामी प्रार्थना पत्र का सम्यक निस्तारण किया जा सकेगा। अतः बैनामा दिनांकित 24.05.83 को मूल रूप से जिसकी रजिस्ट्री दिनांकित 02.06.83 को हुई है, जिसका बही नं० 1 का जिल्द नम्बर 647 पृष्ठ संख्या 149–150 का सिलसिला नं० 1151 है, निबन्धक कार्यालय तहसील नवाबगंज बाराबंकी से आहूत किए जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादिनी द्वारा आपत्ति ग–59 प्रस्तुत कर आपत्ति की गयी है कि जिस दस्तावेज से कायम मुकामी प्रार्थना पत्र पर किए निशानी अंगूठा का मिलान प्रार्थिनी चाहती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा उसके संबंध में न तो आपत्ति की गयी है और न ही भ्रम पैदा किया गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति में तारावती के द्वारा दिए गए कायम मुकामी प्रार्थना पत्र को पोषणीय न होने व त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की है। प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 24.05.83 एक पब्लिक दस्तावेज है जिसे प्रार्थिनी नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्राप्त कर सकती है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से दस्तावेज बैनामा तलब किए जाने का कोई औचित्य नहीं है और न ही उक्त बैनामा कायम मुकामी प्रार्थनापत्र कि निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार से सहायक है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग–58 तलब किए जाने बैनामा

दिनांकित 24.05.83 हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति ग–59 प्रस्तुत की गयी है। वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर यह कथन किया गया है कि मूल बैनामा दिनांकित 24.05.83 को तलब करना इस कारण आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुकामी क–34 पर आपत्ति ग–40 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि तारावती जिसे वादी द्वारा पतिराजा का कायम मुकाम बनाया जा रहा है, पतिराजा की पुत्री नहीं है। यहां पर अवलोकनीय है कि प्रतिवादी द्वारा ग–40 में की गयी आपत्ति को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। अगर प्रतिवादी यह कथन कर रहा है कि तारावती पतिराजा की पुत्री नहीं है तो यह भार प्रतिवादी पर है कि वह अपने इस कथन को अन्य साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करे। इस कारण वादी पर उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–58 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण क–34 हेतु दिनांक 08.05.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।